

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)**

आप. प्रक. क.-727/2012
संस्थित दिनांक-05.09.2012
फा. नं.-234503000382012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1. बुधसिंह धुर्वे पिता स्व० सुन्हेरसिंह धुर्वे, उम्र-53 वर्ष
 2. अमरोतीबाई पति बुधसिंह धुर्वे, उम्र-48 वर्ष
 3. खेमराज धुर्वे पिता बुधसिंह धुर्वे, उम्र-27 वर्ष
- तीनों निवासी ग्राम गढ़ी, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 23/11/2017 को घोषित)

01— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.05.2009 के बाद से लगातार दिनांक 26.06.2012 तक ग्राम आवासटोला गढ़ी, थाना गढ़ी अंतर्गत फरियादी श्रीमती सरस्वतीबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी सरस्वतीबाई को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं फरियादी सरस्वतीबाई धुर्वे से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से अधिक दहेज की मांग की।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया सरस्वतीबाई धुर्वे ने लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी शादी खेमराज धुर्वे के साथ सामाजिक रीति-रिवाज अनुनसार दिनांक 08.05.2009 को हुई थी। प्रार्थिया के बड़े भाई द्वारा शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया था। शादी के बाद प्रार्थिया अपने ससुराल में करीब दो माह तक आरोपीगण के साथ ठीक से रही। उसके पश्चात आरोपीगण ने शादी में सोफा सेट, मोटर साइकिल तथा 50,000/-रुपये नहीं लाई कहकर विवाद कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसका पति शराब पीकर झगड़ा विवाद करता था तथा उससे वैवाहिक संबंध नहीं रखता था। उक्त बात प्रार्थिया ने अपने मायके में माँ, भाई तथा पड़ोस के लोगों को बताई थी, जिसके पश्चात सामाजिक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कोई लिखित प्रस्ताव नहीं हुआ था। अध्यक्ष डी.एस. मरावी तथा उपाध्यक्ष इकवन्तीबाई तेकाम ने उन्हें दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित न करने की समझाईश दी थी, तब प्रार्थिया अपने ससुराल में ही रही। उसके

पश्चात दिनांक 12.05.12 को प्रार्थिया से उसके सास, ससुर ने झगड़ा किये तथा पति ने हाथ-झापड़ से मारपीट किया, तब प्रार्थिया ने अपने भाई माहत्मा को ससुराल बुलवाई और उसके साथ अपने मायके कोयलीखापा चली गई। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-498ए भा.द.वि. एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क.37/12 दिनांक 05.09.12 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.05.2009 के बाद से लगातार दिनांक 26.06.2012 तक ग्राम आवासटोला गढ़ी, थाना गढ़ी अंतर्गत फरियादी श्रीमती सरस्वतीबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी सरस्वतीबाई को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सरस्वतीबाई धुर्वे से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से अधिक दहेज की मांग की ?

सकारण एवं निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क.01 एवं 02:—

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— फरियादी/आहत सरस्वतीबाई अ.सा.01 ने कहा कि आरोपी खेमराज उसका पति है और आरोपी बुद्धसिंह एवं अमरोतिनबाई उसके सास, ससुर है। उसका विवाह आरोपी खेमराज से दिनांक 08.05.2009 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार संपन्न हुआ था। शादी के दो माह तक उसके पति और उसके सास-ससुर ने उसे अच्छे से रखा। उसके बाद उसके पति और सास-ससुर उसे बोलते थे कि दहेज में तेरे माता-पिता ने मोटरसाइकिल और रुपये-पैसे नहीं दिये। मोटरसाइकिल और दहेज के रुपये उसके मायके से लेकर आ। उसके मायके वालों ने और माता-पिता ने आरोपीगण को दहेज में

मोटरसाइकिल और रुपये-पैसे नहीं दिये तो आरोपीगण ने उसे दहेज के लिये मारना-पीटना शुरू कर दिया और उसके ससुरालवालों ने ससुराल से निकाल दिया। उसके बाद वह अपने मायके कोयलीखापा में आकर रहने लगी। उसने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना गढ़ी में की थी, जो प्रपी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके लिखित आवेदन पर से आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने उसके साथ ससुराल में मारपीट की थी और उसने उसकी रिपोर्ट थाना गढ़ी में की थी, पुलिस ने उसका अस्पताल में उपचार करवाया था। उसने पुलिस को विवाह की पत्रिका एवं दहेज में दिये गये सामान की सूची दी थी, जिसे पुलिस ने जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं 04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसने पुलिस को घटना के संबंध में बताया था।

06— फरियादी/आहत सरस्वतीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी शादी में कोई पण्डित नहीं आया था, उसकी शादी पण्डित द्वारा नहीं करवाई गई। साक्षी के अनुसार उसकी शादी जाति रीति-रिवाज अनुसार समाज के लोगों ने करवाई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह और उसका पति खेमराज गोंड जनजाति के हैं, आरोपी खेमराज से उसकी शादी गोंड जनजाति की जाति प्रथा अनुसार हुई, उसकी और आरोपी उसके पति खेमराज की शादी गोंड जाति के पुजारी के द्वारा संपन्न कराई गई थी, गोंड जनजाति में शादी के पूर्व वर पक्ष वधु पक्ष के यहां आकर (लड़की की मांग करता है) मंगनी करता है, गोंड जाति में शादी के पहले दहेज की मांग नहीं की जाती है, आरोपीगण के परिवारवालों ने शादी के पहले उसके परिवारवालों से दहेज की मांग नहीं की थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में ढाई वर्ष तक रही और उसके मायके में भी आना जाना होता था। ससुराल में उसे दो-ढाई महीने तक ससुराल वालों ने अच्छा रखा।

07— फरियादी/आहत सरस्वतीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसके सास, ससुर और पति ने उसे ससुराल में दो-ढाई वर्ष तक अच्छा नहीं रखा। साक्षी के अनुसार उसके साथ मारपीट करते थे और बोलते थे कि यहां से भाग जा और उससे मजदूरी करवाते थे। यह अस्वीकार किया कि आरोपी खेमराज घर से काम करने जाता था तो आता नहीं था, उसका पति घर पर नहीं रहता था और उससे बातचीत नहीं करता था, इसलिये वह परेशान रहती थी। प्रपी-01 की लिखित रिपोर्ट उसने स्वयं लिखी थी। यह अस्वीकार किया कि उसका पति उसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखना चाहता था और बातचीत कम करता था, इसलिये वह ससुराल में परेशान थी, आरोपीगण ने उससे दहेज में मोटरसाइकिल और रुपये-पैसे मांगे उक्त बात किसी को नहीं बताई। साक्षी के

अनुसार उसने गांव में गांव के लोगों और समाज के लोगों की बैठक बुलाई थी और आरोपीगण ने दहेज में पैसे और मोटरसाइकिल की मांग की थी यह बात बताई थी। गांव में समाज के लोगों की मिटींग बुलाई थी, उसमें डी.एस. मरावी, इकवन्ती धुर्वे, ज़ामसिंह धुर्वे और समाज के लोग थे। समाज के लोगों की मिटींग उसके ससुराल गढ़ी में बैठाई गई थी। यह अस्वीकार किया कि उसने समाज के लोगों की कोई मिटींग नहीं बुलाई थी, वह घरेलू काम नहीं करती थी और ससुरालवालों से नाराज रहती थी, इसलिये उसके सास, ससुर ने समाज के लोगों की मिटींग बुलाई थी, मिटींग उसके ससुराल वालों ने बुलाई थी, जिसमें डी.एस. मरावी भी उपस्थित थे, आरोपीगण ने दहेज की मांग एवं मोटरसाइकिल की मांग उससे कभी नहीं की थी, इसलिये उसने उसके ससुराल के आस-पड़ोस के रिश्तेदारों को नहीं बताई थी। साक्षी के अनुसार उसने बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने गढ़ी में दहेज की मांग वाली बात किसी को नहीं बताई थी। साक्षी के अनुसार ससुराल वाले उसे अड़ोस-पड़ोस में नहीं जाने देते थे।

08— फरियादी/आहत सरस्वतीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके मायके और ससुराल की दूरी नौ किलोमीटर है तथा वह ससुराल में ढाई साल रही उस दौरान कई बार मायके आई और वापस ससुराल गई, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि ससुराल वाले उसे मायके जाने से मना नहीं करते थे। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि भगवन्ती सैयाम उसकी चाची है, भगवन्ती सैयाम उसकी चाची जनपद पचायत की अध्यक्ष रही है, उसके पिताजी की मृत्यु उसकी शादी के पहले हो चुकी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसकी शादी उसकी चाची भगवन्ती सैयाम ने की है। साक्षी के अनुसार उसके परिवारवालों ने मिलकर उसकी शादी की है। शादी में उसके मायके वालों ने दहेज में पलंग, अलमारी, कूलर, बर्तन, जेवर दिये थे। यह स्वीकार किया कि उसकी लिखित रिपोर्ट में कूलर एवं सोने चांदी की जेवरात वाली बात नहीं लिखी है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह ससुराल में केवल एक पेटी और पलंग लेकर गयी थी। साक्षी के अनुसार सभी सामान लेकर गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह जान-बूझकर उसके ससुराल में नहीं रहना चाहती है, आरोपीगण ने उससे कभी दहेज की मांग नहीं की है, वह ससुराल में नहीं रहना चाहती है, इसलिये उसने दहेज मांगने की झूठी रिपोर्ट की है, आरोपीगण के विरुद्ध वह आज न्यायालय में झूठे बयान कर रही है।

09— साक्षी मनमतबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि फरियादी सरस्वतीबाई उसकी लड़की है। आरोपी खेमराज उसके लड़की का पति है तथा अमरोतीनबाई एवं बुद्धसिंह उसकी लड़की के सास व ससुर हैं। उसकी लड़की का विवाह खेमराज के साथ उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व हुआ था। उसे उसकी लड़की ने आकर बताया था कि आरोपी खेमराज एवं उसके मां-बाप दहेज की मांग करते हैं। दहेज नहीं देने पर फरियादी

सरस्वतीबाई को नहीं रखने की बात कह रहे थे। आरोपीगण दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और मोटरसाइकिल नहीं देने पर पचास हजार की मांग कर रहे थे। आरोपी खेमराज उसकी लड़की के साथ मारपीट करता था और सभी आरोपीगण नहीं रखने की बात करते थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10— साक्षी मनमतबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके पति सरस्वती की शादी के दस-पन्द्रह वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे, शादी के बाद उसकी पुत्री सरस्वतीबाई लगभग एक वर्ष सुखपूर्वक रही तत्पश्चात् आरोपीगण द्वारा परेशान करने वाली बात बतायी थी, उसकी बेटी सरस्वती ने आकर बताया था कि उसका पति खेमराज उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता तथा उसके हाथ का बना खाना नहीं खाता, जिसके कारण वह परेशान रहती है, खेमराज के इस तरह परेशान करने के कारण वह ससुराल नहीं जाती, तब उसने अपनी पुत्री सरस्वती को ससुराल भिजवायी थी, उसके पश्चात् उसकी पुत्री सरस्वती अच्छे से रहने लगी और उसे कोई शिकायत नहीं बताई। सरस्वती के ससुराल आरोपीगण के घर गद्दी में मीटिंग के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया कि यदि उसकी लड़की सरस्वती तथा आरोपीगण के मध्य घरेलू कार्य को लेकर विवाद हुआ हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार सास, ससुर अच्छे से रखते थे। पुलिस वालों ने उसके कथन लिये थे।

11— साक्षी मनमतबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखाने के पन्द्रह-बीस दिन पूर्व उसकी बेटी सरस्वती ने उसे बताया था कि वह दहेज के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की है, उसकी बेटी सरस्वती तथा दामाद खेमराज के बीच आपसी मनमुटाव एवं मतभेद होने के कारण सरस्वती ने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की है और पृथक निवास करती है, ससुराल से आने के बाद उसकी पुत्री सरस्वती उसके साथ अर्थात् मायके में ही रहती थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसकी लड़की ने उसके पति, सास, ससुर ने दहेज की मांग की थी, ऐसी बात नहीं बताई थी। यह ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उनकी गोंड जाति में कोई दहेज लेन-देन नहीं होता, उसने अपनी बेटी को दहेज में पलंग, पेटी और बर्तन आदि दी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसकी लड़की उसके ससुराल में रहना नहीं चाहती है, इसलिये आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है। यह स्वीकार किया है कि उसकी लड़की सरस्वती जब ससुराल में रहती थी, तब वह भी कई बार उसके ससुराल में गई है तथा जब वह मिलने गई थी, तब आरोपीगण ने कोई दहेज की मांग नहीं की थी। साक्षी के अनुसार उसकी लड़की से दहेज की मांग करते थे।

12— साक्षी प्रतापसिंह अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। प्रार्थिया सरस्वतीबाई उसकी बहन है। सरस्वतीबाई की शादी सामाजिक जाति रिवाज से खेमराज से हुई थी। विवाह के बाद सरस्वतीबाई अपने पति के साथ ग्राम गढ़ी में निवास करती थी। उसे उसकी बहन सरस्वती ने आरोपीगण के साथ छोटी-छोटी घरेलू बात होना बताया थी। उसे इसके अलावा दहेज की मांग संबंधी कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को घटना के संबंध में कोई कथन नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे उसकी बहन सरस्वती ने आरोपीगण द्वारा दहेज में मोटरसायकिल एवं मोटरसायकिल न देने पर 50,000/- रुपये की मांग वाली बात बताया थी, आरोपीगण ने सरस्वती को दहेज की मांग करते हुये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, आरोपीगण के साथ उसके अच्छे संबंध होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-5 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

13— साक्षी महात्मा अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे उसकी बहन सरस्वती ने आरोपीगण के साथ छोटी-छोटी घरेलू बात होना बताया थी। उसे इसके अलावा दहेज की मांग संबंधी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष सरस्वतीबाई से प्रपी-03 में उल्लेखित शादी का कार्ड जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी तरह प्रपी-04 में शादी में प्राप्त सामग्री की सूची प्रार्थी सरस्वतीबाई से जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे उसकी बहन सरस्वती ने आरोपीगण द्वारा दहेज में मोटरसायकिल एवं मोटरसायकिल न देने पर 50,000/- रुपये की मांग वाली बात बताया थी, आरोपीगण ने सरस्वती को दहेज की मांग करते हुये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, आरोपीगण के साथ उसके अच्छे संबंध होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-06 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

14— साक्षी डी.एस. मेरावी अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी सरस्वतीबाई को पहचानता है। वह इगवंती तेकाम को भी जानता है। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व इगवंती तेकाम उसे गढ़ी बस स्टेण्ड पर मिली थी और उनके कहने पर वह आरोपी बुद्धसिंह धुर्वे के यहां गया था। जब वह बुद्धसिंह धुर्वे के यहां गया तो वहां पांच-छः लोग बैठे हये थे, उस समय सरस्वतीबाई, बुद्धसिंह धुर्वे के यहां उनके साथ में ही गई थी। सरस्वतीबाई के साथ उसके परिवार के लोग भी थे। वहां पर पता लगा कि लड़का लड़की के संबंध में मिटींग है तो उसने फिर बुलाने के लिये कहा तो उस समय आरोपी खेमराज वहां पर उपस्थित नहीं था। आरोपी

बुधसिंह और अमरोतिनबाई उपस्थित थे तो उसने कहा कि लड़का उपस्थित नहीं है तो किस बात पर बात करेंगे। उस दिन वह लोग खेमराज और उसकी पत्नि सरस्वतीबाई के संबंध में बात करने गये थे, दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं उन दोनों को मिला दो। उसने यह जानकारी नहीं लिया कि किस संबंध में नहीं रह रहे थे। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था।

15— साक्षी डी.एस. मेरावी अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मीटिंग के समय वह तहसील अध्यक्ष था, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वहां पर मीटिंग का कारण पूछने पर सरस्वतीबाई ने बताया था कि आरोपीगण ने दो मास तक ठीक से रखे उसके बाद दहेज में सोफा सेट, मोटरसायकिल तथा पचास हजार रुपये नहीं लायी कहकर झगड़ा किये थे, दहेज में उक्त सामान एवं रुपये लायेगी तब उसे रखेंगे वाली बात उसे बतायी थी, उसे सरस्वतीबाई ने उस समय यह भी बताया था कि उसने आरोपीगण से कहा था कि उसका भाग का परिवार बहुत गरीब है इतना दहेज नहीं दे सकते, उसे सरस्वतीबाई ने यह भी बताया था कि आरोपी खेमराज उसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने और इगवंती तेकाम ने आरोपीगण को समझाये थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी बुधसिंह और अमरोतिनबाई को समझाये थे कि बहू को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित मत करें, ठीक से रहो, उसने पुलिस को प्रपी-07 का कथन दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण का ग्राम उनके समाज का अध्यक्ष होने के नाते उसके अंतर्गत आता था। यह अस्वीकार किया है कि इसी कारण वह आरोपीगण को बचाने के लिये दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करने की बात को छुपा रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि गोंड जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है, उनके गोंड जाति में बैहर तहसील में शादी विवाह में कोई दहेज एवं टीका नहीं दिया जाता, दोनों पक्ष आपस में मिलकर विवाह कर लेते हैं।

16— साक्षी विमला कुशरे अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानती है। फरियादी सरस्वतीबाई का विवाह खेमराज के साथ हुआ था। उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उसे जानकारी हुई थी कि सरस्वतीबाई का किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हुआ था, बाद में उसके संबंध अच्छे हो गए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण सरस्वतीबाई को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे, आरोपीगण 50,000/- रुपये, सोफा सेट, मोटरसायकिल की मांग को लेकर फरियादी के साथ मारपीट करते थे, उसे सरस्वतीबाई ने बताया था कि उसका पति खेमराज शराब पीकर उसके साथ विवाद करता था और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-8 "शादी में

रिपोर्ट नहीं करना" पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने कहा कि उसने पुलिस को ऐसे कथन नहीं दिए थे। पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि राजीनामा हाने से वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रही है।

17— साक्षी सोहनसिंह अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। फरियादिया सरस्वतीबाई उसके पड़ोस में निवास करती है, जिसकी शादी बुधसिंह के लड़के आरोपी खेमराज से हुई थी। सरस्वतीबाई का विवाह करीब 6-7 वर्ष पूर्व हुआ था। सरस्वतीबाई को उसका पति तथा ससुरालवाले दहेज के लिये परेशान करते थे तथा दहेज कम लाई हो कहकर प्रताड़ित करते थे। शादी के करीब दो-चार माह बाद से आरोपीगण फरियादिया को दहेज हेतु प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद सरस्वतीबाई मायके आकर उक्त बात अपने घरवालों और उसे बताई थी। फिर उन्होंने उसे समझा-बुझाकर वापस उसके ससुराल भेजा था, परन्तु आरोपीगण ने उसे प्रताड़ित करना बंद नहीं किया, जिससे विवाह के करीब तीन साल बाद वह घर आ गई और उसने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। फरियादिया वर्तमान में मायके में रह रही है। घटना की शिकायत कराने के करीब 15 दिन पूर्व उन्होंने सरस्वतीबाई के घर में सामाजिक मीटिंग भी रखी थी, परन्तु आरोपी खेमराज उक्त मीटिंग में उपस्थित नहीं था और उसके घरवालों द्वारा उन लोगों से जो व्यवहार किया गया, उसके बाद उन लोगों ने घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष फरियादिया से क्या जप्त किया था उसे ध्यान नहीं है।

18— साक्षी सोहनसिंह अ.सा.07 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष प्रार्थिया द्वारा शादी की पत्रिका तथा दहेज सामग्री की सूची पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तथा प्र.पी.04 बनाया था, जिनके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं, आरोपीगण ने मोटर सायकिल तथा 50,000/-रुपये दहेज की मांग कर सरस्वतीबाई को प्रताड़ित किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि सरस्वतीबाई उसके पड़ोस में निवास करती है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सरस्वती तथा खेमराज की शादी किस तारीख तथा किस वर्ष में हुई थी उसे याद नहीं है, उसके सामने आरोपीगण ने सरस्वतीबाई से कभी-भी दहेज की मांग नहीं किये थे। पुलिस ने उसका कथन आज से चार वर्ष पूर्व लिया था। वह गोंड जाति का है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण तथा पीड़िता सरस्वती गोंड जाति के हैं, गोंड जाति अनुसूचित जनजाति में आती है, गोंड जाति में लड़के वाले लड़की के घर जाकर लड़की की मांग करते हैं, बेहर तसहील में गोंड जाति में दहेज-टीका की प्रथा नहीं है। साक्षी के अनुसार कुछ लोग अपनी इच्छा से देते हैं। साक्षी ने इन सुझावों भी स्वीकार किया है कि सरस्वतीबाई को उसके

माता-पिता ने बिदाई के समय पेट्टी, पलंग आदि सामान दिये थे, उसकी जानकारी अनुसार आज तक गोंड जाति में किसी ने मोटर सायकिल नहीं दिया और ना ही मोटर सायकिल की मांग की जाती है। साक्षी के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी अपनी इच्छा से मोटर सायकिल देते हैं।

19— साक्षी सोहनसिंह अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि सरस्वती तथा बुधसिंह वगैरह के मध्य किस बात को लेकर विवाद होता था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार लड़की ने बताई थी कि दहेज के लिये आरोपीगण प्रताड़ित करते थे। उसने पुलिस को अपने कथन में विवाह की तारीख नहीं बताया था, यदि उसके कथन में विवाह की तारीख लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि सरस्वती एवं उसका भाई महात्मा सैयाम उसके पड़ौसी है और पड़ौस में होने के कारण उसके उनसे मधुर संबंध है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे सरस्वती ने आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग वाली बात नहीं बताई थी, उसके सरस्वती एवं उसके भाई से अच्छे संबंध है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। उसने प्र.पी.03 तथा प्र.पी.04 में हस्ताक्षर थाने में किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 में क्या लिखा था, पुलिसवालों ने उसे पढ़कर नहीं बताये थे, पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी के अनुसार रिपोर्ट लिखाने आये थे, तब हस्ताक्षर करवाये थे।

20— साक्षी भवरसिंह अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थिया को जानता है। प्रार्थिया सरस्वतीबाई का विवाह कुछ वर्ष पूर्व बुद्धसिंह के लड़के खेमराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात् पति-पत्नि के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद ग्राम कोयलीखापा में सामाजिक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें वह सम्मिलित हुआ था। उक्त मीटिंग में आरोपीगण को समझाईश दी गई थी, परन्तु आरोपीगण ने प्रताड़ना बंद नहीं की, जिसके बाद प्रार्थिया अपने मायके ग्राम कोयलीखापा आ गई और वर्तमान में भी अपने मायके में रह रही है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मीटिंग में सरस्वतीबाई ने बताया था कि शादी के बाद आरोपीगण दहेज में सोफा-सेट, मोटर सायकिल तथा नगद राशि नहीं लाने की बात पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। साक्षी के अनुसार सरस्वतीबाई ने उसके घर आकर भी आरोपीगण द्वारा दहेज हेतु प्रताड़ित करने वाली बात बताई थी।

21— साक्षी भवरसिंह अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सरस्वतीबाई उसकी रिश्ते में भतीजी है और विवाह के पूर्व उसके पास कभी-कभी रहती थी, सरस्वती की शादी में आर्थिक रूप से उसने भी सहयोग किया था। साक्षी के अनुसार वह तथा

समाज के अन्य लोगों ने भी सरस्वती के माता-पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुये सहयोग किये थे। यह स्वीकार किया कि सरस्वती के विवाह के पश्चात सरस्वती तथा उसके पति के मध्य ही विवाद होता था। साक्षी के कथन अनुसार सरस्वती के सास-ससुर के साथ भी विवाद होता था। यह स्वीकार किया कि मीटिंग ग्राम गढ़ी में आरोपीगण के घर में हुई थी, उक्त मीटिंग आरोपीगण ने रखे थे कि सरस्वती बार-बार भागकर जाती है। साक्षी के कथन अनुसार वर-वधु दोनों पक्ष के लोग मीटिंग रखे थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उभयपक्ष गोंड जाति के हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं, बैहर तहसील में गोंड जाति में दहेज एवं टीके की प्रथा नहीं है, उभयपक्ष ने जो मीटिंग आयोजित किये थे उसकी तारीख, माह एवं वर्ष उसे याद नहीं है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त मीटिंग में वह उपस्थित नहीं था, वह उक्त मीटिंग में प्रार्थी सरस्वती ने उसके समक्ष आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग करने तथा प्रताड़ित करने वाली बात नहीं बताई थी, सरस्वतीबाई उसकी रिश्ते में भतीजी है, इस कारण वह उसके पक्ष में होकर आरोपीगण के विरुद्ध कथन कर रहा है, आरोपीगण ने कभी भी सरस्वतीबाई को दहेज की मांग करते हुये प्रताड़ित नहीं किये तथा वह और सरस्वतीबाई के माता-पिता मिलकर पूर्वनियोजित तरीके से आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिये सरस्वती से झूठी रिपोर्ट करवाये थे।

22— साक्षी भादूदास अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले ने पुछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गांव के महात्मा सैयाम ने उसे बताया था कि उसकी छोटी बहन सरस्वती बाई के ससुराल वालों द्वारा परेशान करने के संबंध में ग्राम गढ़ी में मीटिंग रखी गई है, मीटिंग में सरस्वती बाई ने बताया था कि आरोपीगण दहेज की मांग को लेकर उसके साथ झगड़ा करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं, उस दिन मालूम हुआ था कि सरस्वती बाई को ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर मारा है और उसे घर से निकाल दिया है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.10 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

23— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमारे अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 27.06.2012 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी से आरक्षक सरजू कर्मांक 48 द्वारा आहत श्रीमती सरस्वती को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। उसने एक सुधरी हुई चोट जो कि दाहिने हाथ पर रिष्ट ज्वाईट के पास पार्श्व भाग पर पाया था। उसके मतानुसार उसने कोई ताजा चोट होना नहीं पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

24— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह दिनांक 26.06.2012 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थिया सरस्वतीबाई धुर्वे द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर उसके द्वारा आरोपी खेमराज, अमरोतिनबाई तथा बुधसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/12 अंतर्गत धारा-498ए, 34 भा.दं.सं. एवं 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर प्रार्थिया सरस्वतीबाई तथा बी से बी भाग उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.06.2012 को प्रार्थिया सरस्वतीबाई का मुलाहिजा करवाया गया था। दिनांक 26.06.2012 को प्रार्थिया सरस्वतीबाई द्वारा एक शादी की पत्रिका अपने मायके कोयलीखापा में पेश करने पर गवाह महात्मा सैयाम एवं सोहनसिंह मरकाम के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 26.06.2012 को उसके द्वारा प्रार्थिया सरस्वतीबाई धुर्वे, गवाह मनमतबाई सैयाम, महात्मा सैयाम, सोहनसिंह मरकाम तथा दिनांक 27.06.2012 को गवाह प्रतापसिंह सैयाम तथा दिनांक 28.06.2012 को गवाह श्री डी.एस. मरावी तथा दिनांक 29.06.2012 को गवाह इकवतीबाई टेकाम, भवरसिंह सैयाम तथा दिनांक 05.07.2012 को गवाह भादूदास खैरवार तथा दिनांक 08.07.2012 को गवाह विमला कुशरे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे।

25— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.11 के अनुसार दिनांक 01.07.2012 को प्रार्थिया सरस्वतीबाई द्वारा अपने मायके घर ग्राम कोयलीखापा से अपने विवाह की दहेज सामग्री की सूची तीन प्रतियों में पेश करने पर गवाह महात्मा सैयाम एवं सोहनसिंह मरकाम के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 25.08.2012 को उसके द्वारा आरोपी बुधसिंह धुर्वे एवं अमरोतिनबाई धुर्वे को गवाह युवराज धुर्वे तथा प्रेमलाल शिवजे के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र.पी.11 एवं 12 तैयार किया था, जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर आरोपी अमरोतिनबाई एवं बुधसिंह के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 01.09.2012 को आरोपी खेमराज धुर्वे को गवाह उत्तम सिंह धुर्वे एवं टेकलाल धानेश्वर के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.13 तैयार किया था, जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर आरोपी खेमराज के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरान्त उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

26— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने प्र.पी.02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर दर्ज किया था। ऐसा नहीं हुआ था कि प्रार्थी सरस्वतीबाई ने उसे कथन दी थी और उसने कथन लेख किया था। प्र.पी.01 का आवेदन उसने सरस्वतीबाई धुर्वे द्वारा पेश किये जाने पर लिया था।

प्र.पी.01 के आवेदन देते समय सरस्वतीबाई के साथ कौन आया था, उसे आज ध्यान नहीं है। साक्षी के कथन अनुसार प्र.पी.01 का आवेदन देते समय सरस्वतीबाई का भाई महात्मा आया था। यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 की जप्ती प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा नहीं की गई थी और उसने अपने मन से तैयार कर ली थी, प्र.पी.04 सामग्री की सूची एवं प्र.पी.03 विवाह पत्रिका सरस्वतीबाई ने नहीं दी थी, प्र.पी.03 एवं 04 की कार्यवाही में उसने गवाहों के हस्ताक्षर नहीं लिये थे, गवाहों के हस्ताक्षर उसने स्वयं कर लिये हैं, प्रकरण की प्रार्थिया सरस्वतीबाई ने उसे अपने कथन के ए से ए भाग नहीं दी थी एवं संपूर्ण कथन भी नहीं दी थी और उसने अपने मन से लेख किया है।

27— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि उसने मनमतबाई, महात्मा सैयाम, सोहनसिंह, प्रतापसिंह, डी.एस. मेरावी, इकवती टेकाम, भवनसिंह सैयाम, भादूदास, विमला कुशरे के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया है तथा साक्षी प्रतापसिंह ने प्र.पी.05 के ए से ए भाग के कथन उसे नहीं दिये थे और उसने अपने मन से लेख कर लिया है, उसने साक्षी डी.एम. मेरावी के कथन प्र.पी.07 अपने मन से लेख कर लिया था, साक्षी भादूदास खैरवार का कथन प्र.पी.10 के ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था और उसने अपने मन से लेख कर लिया है, साक्षी विमला कुशरे ने पुलिस कथन प्र.पी.08 का ए से ए भाग का कथन नहीं दी थी और उसने अपने मन से लेख कर लिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में मौका नक्शा संलग्न नहीं किया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था, इस कारण उसने नजरी नक्शा तैयार नहीं किया था। साक्षी के कथन अनुसार नजरी नक्शा नहीं बनाने का वह कोई कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में संपूर्ण विवेचना किया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रार्थिया एवं उसके परिवारवालों से मिलकर आरोपीगण को फंसाने के लिये संपूर्ण विवेचना झूठी तैयार किया है।

28— प्रकरण में फरियादी सरस्वतीबाई की माँ मनमतबाई अ.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके सास-ससुर उसे अच्छे से रखते थे और बेटी सरस्वतीबाई ने दामाद खेमराज के साथ आपसी मन-मुटाव एवं मतभेद होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की है। परिवादी के भाई प्रतापसिंह अ.सा.03 तथा महात्मा अ.सा.04 ने भी दहेज की मांग संबंधी कोई जानकारी न होना व्यक्त कर मात्र घरेलू बातों का विवाद परिवादी द्वारा बताया जाना व्यक्त किया है। यह सत्य है कि आरोपित अपराधों के संबंध में परिवादी के अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य संभव नहीं है, तथापि प्रकरण की साक्ष्य अपुष्ट है, जिससे अभियुक्तगण के विपरीत निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि परिवादी की चिकित्सा रिपोर्ट से भी ऐसा दर्शित नहीं है। प्रकरण में पश्चात में

उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होकर परिवादी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना भी दर्शित है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती सरस्वतीबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी सरस्वतीबाई को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं फरियादी सरस्वतीबाई धुर्वे से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से अधिक दहेज की मांग की। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

29— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30— प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

31— प्रकरण में जप्तशुदा विवाह पत्रिका एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील अवधि पश्चात् अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
 दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / —
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
 जिला बालाघाट

सही / —
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
 जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु
 सकीय / विधिक उपयोग